कार्यालय कलेक्टर(आदिवासी विकास), जिला–धमतरी (छ0ग0)

E-mail- tribal.dmt@gmail.com Phone No- 07722-232142, Fax no.- 07722-232143

क्रमांक / 2516 / आदि.वि. / पो.मै.छा. / न.क.–240 / 2024–25 धमतरी, दिनांक 10/09/2024

प्रति,

उपसंचालक,
जनसंपर्क विभाग,
जिला–धमतरी (छ.ग.)

विषयः– **अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कॉलेज स्तर) वर्ष 2024–25 की ऑनलाईन पंजीयन / स्वीकृति संबंधी प्रेस विज्ञप्ति समाचार पत्रों में प्रकाशित करने बाबत्।**

संदर्भ :– आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, इंद्रावती भवन, ब्लाक–डी(भू–तल) अटल नगर, जिला–रायपुर (छ0ग0) के पत्र क्र. / ऑ.ला.पो.मै.छा. / 183 / 2024–25 / 5881 / नवा रायपुर, दिनांक 05.09.2024

–––000–––

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के तहत लेख है कि **छ0ग0 राज्य में अध्ययनरत (छ0ग0 के निवासी)** जो शासकीय / अशासकीय – आई0टी0आई0, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक, में पढने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के विद्यार्थियों एवं प्राचार्यो / संस्था प्रमुखों को **सत्र 2024–25** पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाईन पंजीयन / स्वीकृति की प्रारंभ तिथि एवं अंतिम तिथि की सूचना प्राप्त हो सकें।

कृपया जिला स्तरीय समाचार पत्रों (जिनकी पहुंच ग्रामीण अंचलों तक हो) में लगातार तीन दिवस तक प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

संलग्न :– **विज्ञप्ति।**

सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास, धमतरी

पृ.क्रमांक / 2517 / आदि.वि. / पो.मै.छा. / न.क.–240 / 2024–25 धमतरी, दिनांक 10/09/2024

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त, आदिम जाति, अनु0 जाति विकास, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. कलेक्टर, जिला–धमतरी की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. सर्व संस्था प्रमुख, शासकीय / अशासकीय शैक्षणिक संस्था .... जिला–धमतरी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।

सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास, धमतरी

Scanned with CamScanner

कार्यालय कलेक्टर(आदिवासी विकास), जिला–धमतरी (छ0ग0)

E-mail- tribal.dmt@gmail.com Phone No- 07722-232142, Fax no.- 07722-232143

क्रमांक /2518 /आदि.वि./पो.मै.छा./न.क.–240/2024–25 धमतरी, दिनांक 10/09/2024

–:: सूचना प्रकाशन ::–

वर्ष 2024–25 में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वी से उच्चतर) हेतु ऑनलाईन पंजीयन की सूचना

छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, आई0टी0आई0, पॉलिटेक्निक आदि में के प्राचार्य/संस्था प्रमुख, छात्रवृत्ति प्रभारी एवं उनमें अध्ययनरत **अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग** के विद्यार्थियों, जो विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखते है, को सूचित किया जाता है कि शिक्षा सत्र 2024–25 हेतु ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं से उच्चतर) के पंजीयन, स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही**https://postmatric-scholarship.cg.nic.in/** वेबसाइट पर ऑनलाईन की जा रही है।

जिसके अंतर्गत विभाग द्वारा ऑनलाईन आवेदन/प्रस्ताव/स्वीकृति वर्ष 2024–25 हेतु निम्नानुसार तिथि निर्धारित की जा रही है:–

क्र	प्रक्रिया	अंतिम तिथि
1	विद्यार्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन हेतु (नवीन/नवीनीकरण)	**दिनांक 09.09.2024 से दिनांक 30.10.2024 तक**
2	Draft Praposal Lock करने हेतु	**दिनांक 16.09.2024 से दिनांक 14.11.2024 तक**
3	Sanction Order Lock करने हेतु	**दिनांक 16.09.2024 से दिनांक 21.11.2024 तक**

निर्धारित तिथि के पश्चात् शिक्षा **सत्र 2024–25** की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन हेतु पोर्टल बंद कर दिया जावेगा एवं Draft Praposal Lock, Sanction Order Lock करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया जायेगा। निर्धारित तिथि तक कार्यवाही पूर्ण नहीं करने पर यदि संबंधित संस्थाओं के विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते है, तो इसके लिए संस्था प्रमुख जिम्मेदार होंगे।

नोट :–

1. PFMS के माध्यम से आधार आधारित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा रहा है। अतः सभी विद्यार्थी ऑनलाईन आवेदन करते समय ध्यान रखे कि उनका बचत खाता एक्टिव हो एवं आधार सीडेड बैंक नंबर की ही प्रविष्टि करना सुनिश्चित करें।
2. वर्ष 2024–25 से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से **OTR की प्रविष्टि ऑनलाईन** आवेदन करते समय की जानी है। **OTR की प्रविष्टि** के संबंध में संस्थाओं द्वारा विद्यार्थियों को प्रकिया की जानकारी प्रदाय की जावें।
3. वर्ष 2024–25 से संस्थाओं को जिला नोडल द्वारा प्रदाय प्रशिक्षण अनुसार **Geo-Tagging** किया जाना अनिवार्य है। जिन संस्थाओं द्वारा **Geo-Tagging** नहीं किया जावेगा, उक्त संस्था के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदाय नहीं की जावेगी।

सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास, धमतरी

Scanned with CamScanner